Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)** मुकाम **जोधपुर**

अपीलार्थीगण	बनाम	प्रत्यर्थीगण
1. पीराराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी–पुरानी लोको, क्वार्टर नं0 1084 रातानाडा जोधपुर। 2. ठाकराराम पुत्र सोनाराम के कायम मुकाम– 2/1– बाकाराम पुत्र ठाकराराम, जाति जाट पुरानी लोको, क्वार्टर नं0 1084 रातानाडा जोधपुर 3. प्रेमीदेवी पत्नी ताजाराम, जाति जाट निवासी–डी–316 सरस्वती नगर, बासनी प्रथम जोधपुर 4.सोनाराम पुत्र देवाराम, जाति जाट निवासी डी–316 सरस्वती नगर, बासनी प्रथम जोधपुर 5. दानाराम पुत्र श्री स्वरूपाराम के कायम मुकाम– 5/1. पवन डऊकिया पुत्र श्री दानाराम, जाति जाट निवासी–सिणधरी चौराहा, रिको रोड, राजीव नगर बाडमेर। 6. लालाराम पुत्र श्री सोनाराम, जाति जाट निवासी चन्दोणियो की ढाणी, बांदरा, बाडमेर।		1.राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार कुडी भगतासनी। 2. पुखराज पुत्र श्री चम्पालाल बोराना, बोराना भवन, रोगनिदान सेवाकेन्द्र, जालोरी गेट के अंदर, जोधपुर। 3. भवानी सिंह पुत्र श्री लालसिंह, दतक पुत्र श्री कालूसिंह, जाति रावणा राजपुत निवासी प्लाट संख्या 172 प्रेम टेलर के सामने वाली गली, सरदारपुरा सी रोड, जोधपुर। 4. श्याम किशोर भूतड़ा पुत्र श्री ठाकूरदास भूतडा जाति माहेश्वरी निवासी शम्भूभवन, फतेहसागर, जोधपुर। 5. रामबक्श विश्नोई अध्यक्ष गोतम भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, ई–123 शास्त्री नगर, जोधपुर 6. रमेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री प्रेम किशोर अग्रवाल निवासी 46–48 रानी जी का मंदिर, तृतीय ए रोड, सरदारपुरा, जोधपुर।
किस्म मुकदमा **राजस्व अपील** U/S 75 RLR Act		नं0 **07** सन् **2026 (2026/08)**

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर इस हुक्म तारीख अहकाम की तामील में जारी हुए
27.03.2026	1. अपील संख्या 170/2025, 174/2025, 176/2025, 7/2026 में विवादास्पद तथ्यों की समान प्रवृति, समान विषयवस्तु, समान विधिक प्रश्न, समान विधिक प्रावधान एवं मांगा गया अनुतोष समान प्रकार का होने से, उक्त चारों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाना सुविधाजनक एवं निर्णय में एकरूपता रखने की दृष्टि से न्यायोचित है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है ताकि विरोधाभासी निर्णयों से बचा जा सके। निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावे। 2. पत्रावली आज पेश हुई। अपील संख्या 170/2025, 174/2025, 176/2025, 7/2026 में अपीलांटस एवं प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित। इस आदेश के माध्यम से अपीलांटस द्वारा तहसीलदार कुड़ी भगतासनी द्वारा पारित आदेश क्रमांक भू.अ./न्याय/2025/2539 दिनांक 15.10.2025 एवं उसके परिणामस्वरूप दर्ज नामान्तरकरण संख्या 6429 दिनांक 15.10.2025 को अपास्त करने हेतु अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी. का निस्तारण किया जा रहा है। 3. अपीलांटस ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने भूखण्ड जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र से खरीद किया है जिसकी नकल प्रस्तुत है। अपीलार्थीगण सद्भाविक रूप से खरीद के पश्चात उस पर आवास बनाकर काबिज है। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थीगण के अधिकारों के विरूद्व पारित किया गया है जो अपीलार्थीगण के अधिकारों पर कुठाराघात करने वाला है जिसकी आड़ में अपीलार्थीगण को जबरन बेदखल करने पर प्रत्यर्थीगण उतारू है। इस प्रकार न्याय हित में अपीलाधीन आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त करने के अधिकारी है तथा न्याय हित में अपीलार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना आवश्यक है। 4. <u>अपीलार्थीपक्ष/प्रार्थीगण</u> के उक्त विवरण के प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। 5. अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र एवं अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र	

अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर

को सीपीसी की धारा 96 के तहत प्रस्तुत किया जाना माना जावे क्यो कि भूल से प्रार्थना पत्र पर धारा का अंकन नहीं लिखा गया। अपीलांटस गांव के अनपढ़ व्यक्ति है एवं जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा से सद्भावी क्रेता है तथा कानूनी पेचिदगियों की ज्यादा जानकारी उन्हे नहीं है। आक्षेपित भूमि क्रय करते समय रिकार्ड में भवानी सिंह का नाम खातेदार के रूप में दर्ज था। राजस्व रिकार्ड पर विश्वास करके अपीलांटस ने प्रतिफल अदा करके भूमि खरीदी है तथा मौके पर काबिज है। भूमि 15 बीघा है। अपीलांटस गरीब व्यक्ति है। मकान या बाड़ा बनाकर पशुपालन का धंधा करते है। प्रत्यर्थीगण ने आपस में सांठगांठ करके अपीलांटस को पक्षकार बनाए बिना ही एकतरफा आपस में समझौता करके हाईकोर्ट से फैसला करवा लिया तथा फैसले के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण प्रत्यर्थी पुखराज ने अपने नाम दिनांक 15.10.2025 को दर्ज करवा लिया तथा 18.10.2025 को ही घनश्याम, सुरेन्द्र बोराणा,ओमप्रकाश व जसराज को बेचान कर दी तथा उन्होने भी आगे रमेश कुमार अग्रवाल को बेचान कर दी है तथा नये क्रेता ने हमे बेदखल करने की धमकी दी है। इसलिए हमारे हक, हकों के लिए अपील पेश करना चाहते है। हम 1995 से कब्जे में है। अतः अपील पेश करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

6. अपीलांटस के उक्त तर्को का खण्डन करते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्तागणों ने कथन करते हुए तर्क दिया कि अपीलांटस को अपील पेश करने का कोई Locus Standi ही नहीं है। खसरा नम्बर 203 का मूल खातेदार कालूराम की खातेदारी में था। कालूराम की दिनांक 05.11.1989 को मृत्यु हो गई। कालूराम की वारिस उसकी पत्नी जड़ाव बाई के नाम रिकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 281 से उक्त आराजी मे दर्ज की गई। जिसकी अपील भवानी सिंह ने एस.डी.ओ. जोधपुर के समक्ष की गई, ,जहां पर आपसी रजामंदी से आराजी भवानी सिंह के नाम नामान्तरकरण संख्या 336 से दर्ज की गई जिसकी अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर में की गई, जहां पर अंतिम रूप से फैसला जड़ाव बाई के पक्ष में आया जिसके विरूद्ध निगरानी भवानी सिंह ने राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जो खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्ध भवानी सिंह ने कोई चाराजोही नहीं की है।

अतः ए.डी.सी. जोधपुर द्वारा अपील संख्या 60/1993 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2001 अंतिम हो गया तथा तहसीलदार जोधपुर ने आदेश दिनांक 19.06.2001 से भूमि पुनः जड़ाव कंवर के नाम दर्ज कर दी। चूंकि जड़ाव कंवर ने अपने जीवनकाल में दिनांक 21.11.92 को विवादग्रस्त भूमि का बेचान करने का एक इकरारनामा प्रत्यर्थी पुखराज के नाम निष्पादित कर दिया तथा पुखराज वगैरह के पक्ष में 21.11.1992 को ही वसीयतनामा लिख दिया था। जड़ाव बाई का दिनांक 18.08.1993 को देहान्त हो गया। अतः इकरारनामा अनुसार बेचान दस्तावेज निष्पादन करने का दायित्व पुखराज पर था परन्तु उसने बेचान दस्तावेज का निष्पादन नहीं किया जिसके कारण घनश्याम वगैरह ने एक सिविल वाद एडीजे कोर्ट जोधपुर में 21.11.1995 को दायर किया था जो 5.09.2018 को खारिज कर दिया गया। एडीजे द्वारा पारित निर्णय के विरूद्व प्रथम सिविल अपील संख्या 484/2018 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में पेश की। उक्त अपील में प्रत्यर्थी भवानी सिंह व पुखराज तथा घनश्याम वगैरह के मध्य लिखित समझौता हो गया तथा समझौता के आधार पर न्यायालय ने डिक्री पारित करके घनश्याम वगैरह को इकरारनामा दिनांक 21.11.1992 में अंकित अनुसार शेष प्रतिफल राशि का भुगतान पुखराज वगैरह को करने का आदेश दिया तथा तत्पश्चात पुखराज को घनश्याम वगैरह के पक्ष में बेचान दस्तावेज निष्पादित करने की डिक्री पारित की। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2025 की पालना में तहसीलदार कुड़ी भगतासनी ने दिनांक 15.10.2025 को आदेश पारित कर जड़ाव बाई की जगह पुखराज के

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नाम नामान्तरकरण संख्या 6429 दर्ज किया है तथा उसके पश्चात पुखराज ने हाईकोर्ट द्वारा पारित डिक्री पालना में खसरा नम्बर 203 की 7.1751 हैक्टेयर भूमि का बेचान दस्तावेज घनश्याम वगैरह के पक्ष में दिनांक 18.10.2025 को निष्पादित कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 6430 दिनांक 03.11.2025 क्रेता घनश्याम वगैरह के नाम दर्ज हुआ। घनश्याम वगैरह ने खसरा नम्बर 203 की 7.1751 हैक्टेयर भूमि का बेचान दिनांक 13.11.2025 को रमेश कुमार वगैरह को कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 6436 दिनांक 21.11.2025 को रमेश कुमार के पक्ष में दर्ज किया गया जिसकी पूरी जानकारी रिकार्ड से अपीलांटस को है परन्तु रमेश कुमार, ओमप्रकाश, घनश्याम, जसराज, सुरेन्द्र बोराणा को अपील में आवश्यक पक्षकार ही नहीं बनाया है जबकि वे रिकार्डेड खातेदार थे तथा वे अपील में आवश्यक पक्षकार है। भवानी सिंह ने दिनांक 11.05.1993 से 12.05.2001 तक की अवधि में राजस्व रेकर्ड में उसका नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रत्यर्थी गोतम भवन निर्माण सहकारी समिति के साथ इकरारनामा किया तथा शेष 4 बीघा भूमि की पावर ऑफ एटोर्नी प्रत्यर्थी श्यामकिशोर भूतड़ा के नाम निष्पादित कर दी। उक्त सोसायटी द्वारा आगे निष्पादित इकरारनामा के आधार पर दौलतराम माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रथम सिविल अपील संख्या 484/2018 में पक्षकार बनने हेतु गया परन्तु कोर्ट ने उसे आवश्यक पक्षकार नहीं माना तथा उसका प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी.खारिज किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Suraj Lamp & Industries Ltd. (p) Tr. Dir. V/s State of Haryana 11.10.2011 एआईआर 2012 एससी 206 में अभिनिर्धारित किया है कि इकरारनामा के माध्यम से अचल सम्पति का हस्तानान्तरण नहीं हो सकता।

अपीलांटस ने अगर प्लाट भवानी सिंह (प्रत्यर्थी) से क्रय किया है तो उससे अपीलांटस को कोई हक, अधिकार हासिल नहीं हो सकते क्यों कि भवानी सिंह के पक्ष में दर्ज नामान्तरकरण एडीसी जोधपुर द्वारा अपील संख्या 60/93 में दिनांक 12.05.2001 को खारिज कर दिया है तथा वह निर्णय अंतिम हो गया। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत Compromise Agreement में अंकित कथनों अनुसार भवानी सिंह स्वयं ने स्वीकार किया है कि उसके द्वारा खसरा नम्बर 203 की भूमि बाबत किए गए सभी प्रकार के संव्यवहार अवैध एवं शून्य है तथा उनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगें। उक्त समझौता पत्र माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुप्रमाणित किया गया है तथा वह डीड एक कानूनी मान्य दस्तावेज है जिस पर आक्षेप करने का/परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नामान्तरकरण की समरी एवं संक्षिप्त फिस्कल कार्यवाही में प्राप्त ही नहीं है तथा अपीलांटस को भी कोई अधिकार नहीं है कि वे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय एंव डिक्री की पालना में निष्पादित आदेशों/दस्तावेजों को इस न्यायालय में अपील दायर करके अपास्त कर दे। जड़ाव बाई ने दिनांक 21.11.1992 को पुखराज (प्रत्यर्थी) के पक्ष में एक रजिस्टर्ड वसीयत का निष्पादन किया है जो आज दिन तक प्रभावशील है तथा माननीय एडीजे कोर्ट द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.9.2018 को माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त प्रथम सिविल अपील संख्या 484/2018 में अपास्त कर दिया है तथा भवानी सिंह (प्रत्यर्थी) ने भी समझौता पत्र में पुखराज के पक्ष में की गई वसीयत को सही बताया है। इस प्रकार अपीलांटस को इस अपील में पुखराज के पक्ष में जड़ाव बाई द्वारा निष्पादित वसीयत बाबत आक्षेप करने का कोई अधिकार ही नहीं है। रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का दायित्व राजस्व अधिकारी का है। विवाद भवानी सिंह व पुखराज के मध्य था। उसका निपटारा माननीय उच्च न्यायालय में हो गया है। अब निर्विवादित वसीयत के आधार पर तहसीलदार कुड़ी भगतासनी द्वारा स्वीकृत

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

नामान्तरकरण संख्या 6429 दिनांक 15.10.2025 विधि सम्मत है।

इसी प्रकार भवानी सिंह ने कथन किया है कि रामकिशोर भूतड़ा के पक्ष में किया गया पावर ऑफ अटार्नी उसी समय निरस्त कर दिया गया था। अतः पावर ऑफ एटार्नी रद्द होने के बाद भूतड़ा द्वारा किए गए संव्यवहार शून्य एवं अवैध है।

इस प्रकार अपीलांटस का इस अपील को पेश करने का कोई Locus Standi नहीं हैं तथा अवैध दस्तावेजों के आधार पर अपीलांटस के पक्ष में किसी भी प्रकार के हक, अधिकार, सृजित नहीं होते है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करवाने का अपीलांटस को कोई अधिकार ही नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे तथा अपील भी खारिज की जावे तथा अनावश्यक कार्यवाही को रोका जावे।

7. प्रत्यर्थीगण की उक्त बहस का जवाब देते हुए अपीलांटस के विद्वान अधिवक्ता श्री एल.आर. पूनिया ने कथन किया माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2025 को रिव्यू करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया है जो अभी लंबित है।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों, तहसीलदर से प्राप्त नामान्तरकरण की परत का अध्ययन कर अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्को पर मनन किया।

9. निर्विवाद रूप से ग्राम सांगरिया का ख.नं. 203 कालूराम के नाम खातेदारी में दर्ज था। कालूराम का दिनांक 05.11.1989 को निधन हो गया। उसके बाद कालूराम की पत्नी जडाव बाई एवं प्रत्यर्थी भवानी सिंह को मध्य उत्तराधिकार को लेकर विवाद चला तथा अंततोगत्वा अति. संभागीय आयुक्त, जोधपुर के निर्णय दिनांक 31.03.2001 से जडाव बाई के नाम ख.नं. 203 की आराजी रिकॉर्ड में दर्ज हुई। जडाव बाई ने दिनांक 21.11.1992 को एक बेचान इकरारनामा घनश्याम वगैरा के पक्ष में निष्पादित किया तथा एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रत्यर्थी पुखराज के पक्ष में निष्पादित किया। दिनांक 18.08.1993 को जडाव बाई की मृत्यु हो गई। उक्त बेचान इकरारनामा दिनांक 21.11.1992 को निष्पादन करवाने हेतु घनश्याम वगैरा ने एक सिविल वाद ए.डी.जे. कोर्ट, जोधपुर में दायर किया, जो दिनांक 05.09.2018 को खारिज कर दिया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रथम सिविल अपील सं. 484/2018 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में पेश की गई। उक्त अपील में उभयपक्षों ने आपसी सहमति से Compromise डीड पेश किया, जिसको स्वीकार करके माननीय उच्च न्यायालय ने जडाव बाई द्वारा दिनांक 21.11.1992 को किये गये इकरारनामा की पालना करने का भार प्रत्यर्थी पुखराज पर डाला, जिसके पक्ष में दिनांक 21.11.1992 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा जडाव बाई द्वारा निष्पादित की थी। पुखराज ने घनश्याम वगैरा से इकरारनामा अनुसार निर्धारित शेष प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार कुडी भगतासनी ने आक्षेपित आदेश व नामांतरकरण सं. 6429 दिनांक 15.10.2025 से ख.नं. 203 की समस्त भूमि पुखराज के नाम दर्ज कर दी तथा पुखराज ने दिनांक 18.10.2025 को ख.नं. 203 की भूमि घनश्याम वगैरा के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचाननामा निष्पादित कर दिया। जिसका नामांतरकरण सं. 6430 दिनांक 11.11.2025 को स्वीकृत हुआ। उसके पश्चात् घनश्याम वगैरा ने उक्त भूमि दिनांक 13.11.2025 को रमेश कुमार अग्रवाल को बेचान कर दी, जिसका नामांतरकरण सं. 6436 दिनांक 21.11.2025 है। हाईकोर्ट में प्रस्तुत Compromise deed में तथा अलग से निष्पादित शपथ पत्र में भवानी सिंह (प्रत्यर्थी) ने यह स्वीकार कर लिया कि जडाव बाई द्वारा बेचान इकरारनामा दिनांक 21.11.1992 को किया है तथा वसीयतनामा भी दिनांक 21.11.1992 को पुखराज के पक्ष में निष्पादित किया तथा यह भी स्वीकारोक्ति दे दी कि उसके द्वारा ख.नं. 203 की भूमि के बारे में जितने भी

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

संव्यवहार एवं लिटिगेशन किया है, वह झूठा था तथा अमान्य एवं अवैध था। यह बात सही है कि नामांतरकरण सं. 281 से सर्वप्रथम जडाव बाई का नाम कालूराम की जगह दर्ज हुआ, जिसके विरूद्ध भवानी सिंह ने उपखण्ड अधिकारी,जोधपुर के न्यायालय में अपील सं. 13/91 पेश की तथा आपसी रजामंदी बताकर आदेश दिनांक 11.05.1993 से भवानी सिंह का नाम नामांतरकरण सं. 336 दिनांक 28.05.1993 से दर्ज हुआ तथा उसके बाद अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर न्यायालय में दर्ज अपील सं. 60/93 में पारित अंतिम निर्णय दिनांक 31.03.2001 तक ख.नं. 203 की भूमि में भवानी सिंह का नाम रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज रहा तथा दिनांक 19.06.2001 को तहसीलदार, जोधपुर के आदेश से भवानी सिंह का नाम रिकॉर्ड से हटाया गया। उक्त अवधि दिनांक 11.05.1993 से 19.06.2001 तक में भवानी सिंह द्वारा/की ओर से ख.नं. 203 की भूमि पर कई बेचान दस्तावेज निष्पादित किये गये तथा उनका राजस्व अभिलेखों में नामांतरकरण सं. 527, 528, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 559, 560, 561 से भूमि केताओं/अपीलांट्स के नाम खातेदारी में दर्ज की गई। परंतु अति. संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अपील सं. 60/93 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2001 की पालना में तहसीलदार द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.06.2001 से, उक्त समस्त इन्द्राजों की जगह ख. नं. 203 की समस्त भूमि जडाव बाई के नाम पुनः दर्ज कर दी गई। परंतु अपीलांट्स ने कोई कार्यवाही ही नहीं की । इस दौरान जडाव बाई द्वारा निष्पादित बेचान इकरारनामा दिनांक 21.11.1992 की पालना का सिलसिला/लिटिगेशन विभिन्न न्यायालयों में चला, जिसकी परीणिति/पटाक्षेप आदेश दिनांक 15.10.2025 एवं नामांतरकरण सं. 6429 से हुई। उक्त अवधि में आक्षेपित भूमि ख.नं. 203 भवानीसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज रही, जिस पर अपीलांट्स एवं अन्य कई लोगो ने 'Record of Rights' के इन्द्राजों पर भरोसा करते हुए, भवानी सिंह (प्रत्यर्थी) के साथ संव्यवहार किया तथा प्रतिफल अदा करके भूखण्ड कय किया तथा 1994 से 2001 तक की अवधि में भूखण्डों पर आवास निर्माण करवाकर निवासरत बता रहे है तथा वे सद्भावी केता प्रतीत होते है तथा सैंकडों की तादाद में है। फिर भी विक्रेता भवानी सिंह (प्रत्यर्थी) जिसने ए.डी.जे. कोर्ट, जोधपुर में प्रत्यर्थी के रूप में घनश्याम वगैरा के वाद का विरोध किया था तथा अपना हक बता रहा था परंतु अचानक माननीय उच्च न्यायालय Compromise Deed एवं शपथ पत्र में स्वयं द्वारा निष्पादित समस्त संव्यवहारों एवं कृत्यों को झूठा, विधि विरूद्ध एवं शून्य बताकर, प्रत्यर्थी पुखराज एवं जडाव के केताओं घनश्याम वगैरा के पक्ष में बयान कर दिये जिसके कारण भवानी सिंह ही जानता है।

चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत Compromise Deed आदेश 23 नियम 3 सीपीसी के तहत निष्पादित किया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा प्रमाणित करके डिकी पारित कर दी है तथा आपसी सहमति से पारित डिकी को परिवर्तित/अपास्त करने का अधिकार उसी न्यायालय का ही होता है। अतः जब तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रथम सिविल अपील सं. 484/2018 में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 24.09.2025 यथावत है, तब तक यह न्यायालय अपीलाधीन आदेश दिनाक 15.10.2025 एवं नामांतरकरण सं. 6429 पर पारित आदेश को अपास्त करने में क्षेत्राधिकार विहिन है तथा अपीलांट्स को विपरीत प्रभावित (व्यथित व्यक्ति) मानकर, अपील पेश करने की अनुमति प्रदान नहीं कर सकता। फलस्वरूप, अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी अस्वीकार योग्य है।

अपीलांट्स एवं कई अन्य केताओं के नाम अति. संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा अपील सं. 60/93 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2001 एवं तहसीलदार, जोधपुर के आदेश दिनांक 19.06.2001 से जमाबंदी से हटाये जा चुके थे तथा ख.नं. 203 की पुरी भूमि जडाव बाई के नाम दर्ज हो चुकी थी,

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

परंतु 25 वर्ष की अवधि में भी अपीलांट्स ने अपने अधिकारों के लिए सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही करने का साक्ष्य स न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है।

10. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र एक संक्षिप्त एवं समरी प्रकार की फिस्कल प्रोसिडिंग है, जिसमें पक्षकारों के अधिकारों, हक, स्वत्वों इत्यादि का अभिनिर्धारण नहीं किया जा सकता। अधिकारों का अभिनिर्धारण केवल मात्र नियमित वाद के जरिये सक्षम न्यायालय द्वारा साक्ष्य/सबूत होकर, नियमित कार्यवाही के माध्यम से ही किया जा सकता है। नामांतरकरण केवल आदेशों/निर्णयों या वैद्य दस्तावेजों के आधारों पर दर्ज किया जाता है। अतः अपीलांट्स सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है।

11. परिणामतः अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एतदद्वारा अस्वीकार किया जाता है। चूंकि अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

12. राजस्व अपील सं. 170/2025 (2025/470) में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.11.2025 से जारी किया गया अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को भी खारिज किया जाता है।

13. प्रकरण में लंबित स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अन्य समस्त प्रार्थना पत्र भी खारिज किये जाते है।

14. निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख तहसीलदार, कुडी भगतासनी को लौटाया जावे।

पत्रावली बाद तामिल एवं तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर